<u>निर्वाचन तत्काल</u>
<u>कैम्प बैग द्वारा</u>

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

सं**0** : 3/4/आई डी/2015/एस.डी.आर(परिषद) (आंध्र प्रदेश) दिनांक: 19 मार्च, 2015

सेवा में

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
   आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना
   हैदराबाद।

विषय: स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन, जिसके लिए 22 मार्च, 2015 को मतदान कराया जाना निर्धारित है - निर्वाचकों की पहचान के संबंध में आयोग का आदेश ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने निदेश दिया है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व-पश्चिम गोदावरी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र तथा कृष्णा-गुन्टुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र एवं तेलंगाना के महबूबनगर-रंगा-रेड्डी-हैदराबाद स्नातक क्षेत्र तथा वारंगल-खम्माम-नलगोन्डा स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचनों में वे सभी - निर्वाचक जिन्हें अपने-अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें 19 फरवरी, 2015 को अधिसूचित आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचनों में मत देने के लिए मतदान केन्द्रों पर आने पर और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इन पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा।

2. इस संबंध में दिनांक 19 मार्च, 2015 को जारी किए गए आदेश की प्रति संलग्न है। आयोग ने उन निर्वाचकों, जो निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, के संबंध में पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों को अनुमोदित किया है। सभी पीठासीन अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आदेश के पैरा 4 में दिए गए निदेशों की ओर आकर्षित किया जाए।

3. पीठासीन अधिकारियों को स्पष्ट रूप से अनुदेश दिया जाए कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र में निर्वाचक के नाम, पिता/माता/पति के नाम, लिंग, आयु व पते से संबंधित प्रविष्टियों में छोटी-मोटी त्रुटियों को नजर अन्दाज किया जाए तथा यदि उस पहचान पत्र के माध्यम से निर्वाचक की पहचान स्थापित की जा सके तो निर्वाचक को अपना मत देने की अनुमति दी जाएगी।

4. आयोग के दिनांक 19 मार्च, 2015 के आदेश को राज्य के राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए। द्विवार्षिक निर्वाचनों के लिए नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों तथा संबंधित सभी अन्य प्राधिकारियों को आयोग के निदेशों के बारे में तत्काल सूचित किया जाए। आम जनता तथा निर्वाचकों की सूचना के

लिए प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तथा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें इसे अपने साथ लाना चाहिए तथा यह स्पष्ट कर देनी चाहिए कि जिनके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं हैं, मतदान के समय आयोग द्वारा निर्दिष्ट कोई भी वैकल्पिक दस्तावेज लाना चाहिए। आपके राज्य में सभी राजनीतिक दलों को तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आयोग के इस निदेश के बारे में भी लिखित में सूचित किया जाए।

5. रिटर्निंग अधिकारी(यों) को अनुदेश दिया जाए कि वे इस आदेश की विवक्षाएं नोट करें तथा सभी पीठासीन अधिकारियों को विशेष ब्रीफिंगों के माध्यम से इसकी विषय वस्तु से अवगत कराएं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदान केन्द्रों पर पीठासीन अधिकारियों के पास इस पत्र की प्रति उपलब्ध हों।

6. कृपया पावती दें तथा की गई कार्रवाई की पुष्टि करें।

भवदीय,

(एन टी भुटिया)
अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

सं**0** : 3/4/आई डी/2015/एस.डी.आर(परिषद) (आंध्र प्रदेश) दिनांक : 19 मार्च, 2015

<u>आदेश</u>

यत: भारत निर्वाचन आयोग लोक सभा तथा विधान सभाओं के निर्वाचनों में निर्दिष्ट पहचान दस्तावेजों के माध्यम से निर्वाचकों की अनिवार्य पहचान करने की नीति का वर्ष 2000 से अनुसरण कर रहा है ताकि निर्वाचनों में प्रतिरूपण को रोका जा सके और परिणामस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62 के अन्तर्गत, असली निर्वाचकों के मताधिकार को और प्रभावी बनाया जा सके; और

2. यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 35 (3) और 37 (2) (ख) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों में निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र या अन्य विशिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा और उनकी ओर से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहने या मना करने के परिणामस्वरूप उनको डाक मत पत्र की आपूर्ति और मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी; और

3. यत: , प्रतिरूपण के विरुद्ध निर्वाचकों की पहचान और पूर्वापाय किए जाने के संबंध में उक्त प्रावधान स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन पर भी समान रूप से लागू हैं और चूंकि इन निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी निर्वाचक हैं, इसलिए उनके सम्बन्धित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचकों के रूप में उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों की आपूर्ति की गई होगी;

4. अत:, अब, सभी संगत कारकों और विधिक और तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि दिनांक 19 फरवरी, 2015 को अधिसूचित आन्ध्र प्रदेश की पूर्व-पश्चिम गोदावरी शिक्षक और कृष्णा-गुन्टुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों तथा तेलंगाना राज्य में महबूबनगर-रंगा रेड्डी- हैदराबाद स्नातक और वारंगल- खम्माम- नालगोंडा स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में द्विवार्षिक निर्वाचनों में सभी निर्वाचकों को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए इन पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा जब वे उक्त निर्वाचन क्षेत्रों से आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन में मतदान करने के लिए मतदान केन्द्रों पर आते हैं। हालांकि वे

निर्वाचक जो अपना एपिक प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा :-

I. पासपोर्ट,

II. आधार कार्ड,

III. ड्राइविंग लाइसेन्स,

IV. आयकर पहचान-पत्र (पैन)

V. शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जारी किया गया सेवा पहचान पत्र जिसमें संबंधित स्नातक निर्वाचक क्षेत्र के निर्वाचक कर्मचारी हो सकते हैं।

VI. विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र, मूल रूप में।

VII. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र, मूल रूप में।

VIII. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र।

IX. एम पी/एम एल ए/एम एल सी को जारी शासकीय पहचान-पत्र।

भवदीय,

(अनुज जयपुरियार)
सचिव